UPM010082282026

# न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 11, मुरादाबाद

**पीठासीन अधिकारी– (घनेन्द्र कुमार), (उ०प्र० न्यायिक सेवा ) – UP01664**

## जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2540/2026

फैसल आयु 19 वर्ष नवाब निवासी मौहल्ला नुरूल्ला वार्ड नं0 4 कस्बा व थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद।

......................................आवेदक/अभियुक्त

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य ..............................................वादी/अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०–190/2026
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट,
थाना–कुन्दरकी,
जिला–मुरादाबाद।

**दिनांक–11.08.2026**

**1–** आवेदक/अभियुक्त फैसल की ओर से उपरोक्त प्रकरण में इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2–** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 27.07.2026 को वादी उप निरीक्षक बृजराज सिंह मय हमराह उ0नि0 मयंक मलिक, कॉ0 राजीव कुमार, कॉ0 अभीत पोसवाल, कॉ0 आकाश, कॉ0 उज्ज्वल, कॉ0 रोहित कुमार के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नंबर 05 समय 01.43 बजे वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध वाहन व गश्त अपने अपने निजी वाहनो से रवाना होकर गश्त करते हुए जलालपुर मोड़ से होते हुए कस्बा कुन्दरकी रेलवे फाटक की तरफ जा रहे थे कि जलालपुर मोड़ से कुछ दूर आगे तीन व्यक्ति बाग की तरफ से मोटरसाईकल पर आ रहे थे। जैसे ही उक्त तीनो व्यक्तियो को टार्च का इशारा कर रोकने का प्रयास किया तो तीनो मोटरसाईकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे जिस पर पुलिस वालो ने आवश्यक बल प्रयोग कर घेर घोटकर बाग की तरफ से आ रहे कच्चे रास्ते पर दिनांक 27.07.2026 को समय 03.50 बजे पकड़ लिया। मोटर साईकिल से तीनो व्यक्तियो से भागने का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नही दे सके। नाम पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त ने अपना नाम फैसल पुत्र नबाव नि0 मौहल्ला नुरूल्ला वार्ड नं0 04 कस्बा व थाना कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद उम्र 19 वर्ष बताया। अभियुक्त फैसल की जामा तलाशी से पहनी पेन्ट की बायीं जेब से एक काली प्लास्टिक की पन्नी जिसमे काले रंग का बेलनाकार काली बत्तियों से बना पिण्ड मिला। पिण्ड को काली पन्नी से निकालकर सूंघा तो चरस जैसी गंध आ

Digitally signed by GHANENDRA KUMAR
Date: 2026.08.11 16:49:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रही थी। अभियुक्त के कहने पर धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक अंतर्गत सहमति पत्र तैयार किया गया। अभियुक्त से बरामद चरस को इलेक्ट्रानिक कांटे पर तोला गया तो बरामद चरस का वजन 650 ग्राम था। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा फर्द मौके पर तैयार की गयी।

**3–** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एवं थाने की रिपोर्ट तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**4–** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नही किया है। घटना जलालपुर मोड़ से कुछ दूर आगे बाग की तरफ से आ रहे कच्चे रास्ते पर दिखायी गयी है जो काफी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। इसके बावजूद जनता का कोई आजाद गवाह नही बनाया गया है। प्रार्थी से 650 ग्राम अवैध चरस बरामद नही हुई है, बल्कि पुलिस पार्टी द्वारा फर्जी व झूठी बरामदगी दिखायी गयी है। गिरफ्तारी के समय एन. डी. पी. एस. अधिनियम के नियमो का अनुपालन नही किया गया है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः दौराने मुकदमा जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

**5–** इसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से अल्प मात्रा से अधिक मात्रा में चरस बरामद हुई है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

**6–** पत्रावली एवं पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से 650 ग्राम चरस बरामद होने का आरोप है। चरस की अल्प मात्रा सौ (100) ग्राम एवं वाणिज्यिक मात्रा 1 किलोग्राम (1000 ग्राम) है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद 650 ग्राम चरस वाणिज्यिक श्रेणी से अत्यधिक कम है। घटना में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 27.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतीत होते हैं।

## आदेश

**7–** आवेदक/अभियुक्त फैसल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभूगण प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है कि–

(i). अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा और बिना किसी कारण कोई स्थगन नहीं देगा और गवाह आने पर प्रत्येक स्थिति में गवाह से प्रतिपरीक्षा करेगा,

(ii). अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा और

(iii). अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक–11.08.2026

(घनेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 11, मुरादाबाद
ID No.–UP1664